

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) – 2021
RAJASTHAN ELIGIBILITY EXAMINATION FOR TEACHERS (REET)-2021
(माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर)

राजीव गाँधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर-305001

विज्ञप्ति सं. – 01/2021

Website : <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021>

Email ID : reetbser@gmail.com

फोन नं. (0145) 2630436, 2630437

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। यह परीक्षा 25 अप्रैल, 2021 (रविवार) को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी जिसकी आवेदन प्रक्रिया/पात्रता मापदण्ड, ऑन-लाईन आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

कार्यक्रम

वेबसाइट पर ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि : दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 08.02.2021 रात्रि 12 बजे तक

चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि : दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 04.02.2021 तक

वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक 14.04.2021 से

परीक्षा तिथि	: दिनांक 25.04.2021 (रविवार)
परीक्षा समय : स्तर-द्वितीय (कक्षा 6 से 8) :-	: प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक
परीक्षा समय : स्तर-प्रथम (कक्षा 1 से 5) :-	: अपराह्न 2.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक

इस परीक्षा के स्तर प्रथम एवं द्वितीय का पाठ्यक्रम, बैंक विवरण एवं अन्य सूचनाएं वेबसाइट <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> पर उपलब्ध होगी।

- सामान्य सूचना :- राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2021) का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के द्वारा किया जाएगा।
- ऑन-लाईन आवेदन प्रक्रिया :- राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2021) के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑन-लाईन वेबसाइट <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> पर भरे जायेंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरें। ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑन-लाईन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर (Level), मोबाईल नम्बर अंकित कर सम्बन्धित बैंक/ऑन-लाईन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। तत्पश्चात बैंक से शुल्क का सत्यापन (Verification) होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नम्बर अंकित कर जाना जा सकेगा।

परीक्षा शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ई-मित्र से जमा करा सकेंगे।

- स्तर प्रथम अथवा स्तर द्वितीय (केवल एक परीक्षा) हेतु : रुपये 550/-
- स्तर प्रथम एवं स्तर द्वितीय (दोनों परीक्षाओं) हेतु : रुपये 750/-

नोट:-

- I. अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के अनु-3 के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराया जाता है तो इसे वापस नहीं लौटाया जायेगा।
 - II. ऑन-लाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक, आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> से डाऊनलोड कर लें और उसे ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा-10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। आवेदक अपना ऑन-लाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व अन्तिम रूप (Final Submission) से उसकी प्रविष्टियों की पुनः जाँच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी गई हैं। प्रविष्टियों के सही होने के सम्बन्ध में साइबर-कैफे, कियोस्क या कम्प्यूटर एजेन्सी पर निर्भर नहीं रहें अर्थात् स्वयं भलीभांति सत्यापन कर लें।
 - III. अभ्यर्थी द्वारा ऑन-लाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात्, परीक्षा आवेदन-पत्र अन्तिम संप्रेषण (Final Submission) के पूर्व परीक्षार्थी को डाटा में ऑन-लाईन संशोधन का एक अवसर प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात् किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. REET-2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ :-
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 (सपठित 29 जुलाई 2011) एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित मापदण्डानुसार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार "राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2021" में सम्मिलित होने हेतु योग्यताएँ एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

3.1 कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ:-

- A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)
अथवा
- B. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulation, 2002.
अथवा
- C. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).
अथवा
- D. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Education (Special Education).
अथवा
- E. स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो) उत्तीर्ण।
Graduation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) passed.

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A, B, C व E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु D विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।

3.2 कक्षा 6 से 8 (स्तर-द्वितीय) के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ :-

- A. स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण।
Graduation and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) passed.
अथवा
- B. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बी.एड. उत्तीर्ण या बी.एड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत्।
At least 50% marks either in Graduation or post Graduation and B.Ed. passed or appearing in final year of Bachelor in Education (B.Ed).
अथवा
- C. न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
Graduation with at least 45% marks and 1-year B.Ed. passed, in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.
अथवा
- D. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).
अथवा
- E. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड. में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year B.A. /B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B.Sc.Ed.
अथवा
- F. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण या बी.एड (विशेष शिक्षा) कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Graduation or post Graduation with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education) passed or appearing in final year of B.Ed (Special Education)

नोट:-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना फा.सं.राअशिप-रेगु./012/22/2019-अ.स.(विनियम) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 द्वारा किए गए संशोधन "कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बी.एड." में अग्रांकित परन्तुक जोड़ा गया है-"लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई, 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।"

Note:- Amendment by NCTE Notification No.F.No. NCTE-Reg/012/22/2019-US(Regulation)-HQ. Dated 13th November, 2019 "At least 50% marks either in Graduation or in Post-Graduation and B.Ed." the following Proviso inserted-"Provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to the 29th July, 2011."

स्पष्टीकरण :- उपरोक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिन्दु A से E सामान्य शिक्षक तथा बिन्दु F विशेष शिक्षक पद हेतु होगी।

3.3 (a) अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम:-

इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरसीआई द्वारा विशेष शिक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा परन्तु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार ही मान्य होगी।

(b) विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण:-

वह व्यक्ति, जिसने डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(c) किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :-

जो व्यक्ति NCTE/RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 (सपडित 29.7.2011) एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो REET-2021 में बैठने के पात्र हैं, किन्तु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिये तभी पात्र होंगे, जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स REET 2021 परीक्षा का परिणाम जारी होने तक उत्तीर्ण कर लिया हो।

(d) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3964/2011 सुशील सोमपुरा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 के क्रम में राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F.7 (1) E.E./Plan-2011 दिनांक 17 जून 2011 एवं 16.09.2013 में प्रदत्त निर्देशानुसार REET-2021 के लिये आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होंगे :-

1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था उन्हें सीनियर सैकण्डरी (10+2) या समकक्ष/स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है।
2. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 जारी होने के बीच की अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था, उनके लिये सीनियर सैकण्डरी (10+2) या समकक्ष/स्नातक स्तर या समकक्ष कोर्स अथवा जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त होने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही होगी। इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने की बाध्यता लागू होगी।
3. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 31.8.2009 जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिये सीनियर सैकण्डरी (10+2) या समकक्ष/स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक की बाध्यता आवश्यक होगी। जम्मू एवं कश्मीर से उक्त तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त करने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही लागू होगी।

नोट:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/MBC/EWS/विशेष योग्यजन/विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हक अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(e) NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार :- भाषा अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदण्ड लागू होंगे।

4. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET-2021) की संरचना एवं विषयवस्तु (Structure and Content of REET- 2021) परीक्षा पाठ्यक्रम (विस्तृत पाठ्यक्रम कार्यालय की वेबसाइट पर देखें)

4.1 स्तर प्रथम – (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक) अधिकतम अंक : 150, समय 2.30 घण्टा

स्तर प्रथम में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :-

खण्ड- I बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- II भाषा-I – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती (भाषा-I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम 'Medium of Instruction' की भाषा है। जिसका चयन ऑन-लाईन आवेदन में अंकित किया है।)	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- III भाषा-II – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती (भाषा-II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑन-लाईन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह भाषा – I से भिन्न होगी।)	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- IV गणित	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- V पर्यावरण अध्ययन	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक

4.1.1. प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा-I के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है।
3. भाषा-II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किन्तु यह भाषा-I से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा-II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित" तथा "पर्यावरण अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा I से V तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सैकण्डरी (कक्षा 10) तक का होगा।
6. प्रश्न-पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

4.2. स्तर द्वितीय – (कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक) अधिकतम अंक : 150 समय 2.30 घण्टा

स्तर द्वितीय में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :-

खण्ड- I बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- II भाषा-I – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती (भाषा-I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम 'Medium of Instruction' की भाषा है। जिसका चयन ऑन-लाईन आवेदन में अंकित किया है।)	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- III भाषा-II – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती (भाषा-II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह भाषा - I से भिन्न होगी।)	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड- IV (अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु – IV(अ) गणित एवं विज्ञान विषय या (ब) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु – IV(ब) सामाजिक अध्ययन विषय या (स) अन्य विषय के शिक्षक हेतु – IV(अ) अथवा IV(ब) में से कोई एक	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक

4.2.1. प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा-I के प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. भाषा-II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है। किन्तु यह भाषा-I से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा-II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित एवं विज्ञान" तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. कक्षा 6 से 8 तक के "गणित एवं विज्ञान" विषय में समान अनुपात में 60 प्रश्न (30 प्रश्न गणित विषय के एवं 30 प्रश्न विज्ञान विषय के) तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय में 60 प्रश्न उक्त विषय के पाठ्यक्रमानुसार पूछे जायेंगे।
6. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा VI से VIII तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सैकण्डरी (कक्षा 12) तक का होगा।
7. प्रश्न-पत्र की भाषा का माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

5. परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन :-

- I. परीक्षा की दिनांक:- 25 अप्रैल, 2021
- II. समय : प्रथम पारी परीक्षा, स्तर द्वितीय (कक्षा-6 से 8) – प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक
द्वितीय पारी परीक्षा, स्तर प्रथम (कक्षा-1 से 5) – अपरान्ह 2.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक
नोट:- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को सम्बन्धित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- III. परीक्षा प्रवेश पत्र :- REET कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस बाबत सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना ई-मेल अथवा मोबाइल नम्बर पर संदेश (SMS) से भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस हेतु आवेदन पत्र तथा चालान की प्रति सुरक्षित रखें। डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे।

- IV. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व आवश्यक रूप से पहुँच कर स्थान ग्रहण करें। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।
- V. परीक्षा में श्रुतलेखक के संबंध में आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाईट पर देखें।
- VI. प्रश्न पत्र व्यवस्था:—
- (a) प्रश्न पत्र पुस्तिका (Question paper Booklet) प्राप्त कर भली भांति अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं हैं तथा प्रश्नों के क्रमांक सही क्रम में हैं। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question paper Booklet को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें।
- (b) प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple choice) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, व D के रूप में होंगे, जिनमें से एक ही सही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
- (c) प्रश्न पत्र पुस्तिका में 150 प्रश्न होंगे। खण्ड वार प्रश्नों की संख्या अनु. 4 के अनुसार होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है।
- (d) स्तर प्रथम की प्रश्न पत्र पुस्तिका अनु. 4.1 के अनुसार पाँच खण्डों – I, II, III, IV, V में विभाजित है तथा सभी खण्ड हल करना अनिवार्य है। खण्ड-II व III में भाषा का चयन अनु. 4.1 के अनुसार किया जाए और यह आवेदन पत्र में अंकित अनुरूप होना चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। इसमें त्रुटि होने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (e) स्तर द्वितीय की प्रश्न पत्र पुस्तिका अनु. 4.2 के अनुसार चार खण्डों में विभाजित हैं जिसमें I, II, III, अनिवार्य हैं। इस प्रश्न-पत्र के खण्ड II व III में भाषा का चयन अनु. 4.2 के अनुसार किया जाए और यह आवेदन पत्र में अंकित अनुसार होना चाहिए। खण्ड IV में अनु. 4.2 के अनुसार (अ), (ब) व (स) में से किसी एक का चयन करना है जो आवेदन पत्र में अंकित अनुरूप होना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (f) परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी अपनी प्रश्न पत्र पुस्तिका अपने साथ ले जा सकेंगे।
- VII. उत्तर पत्रक (OMR sheet) व्यवस्था:—
- (a) परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर ओ.एम.आर. शीट में प्रश्नों के सही विकल्प के रूप में अंकित करने होंगे। OMR शीट प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लें कि वह स्पष्ट रूप में मुद्रित है और उसका क्रमांक भी स्पष्ट मुद्रित है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण OMR शीट परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें, इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
- (b) ओ.एम.आर. शीट्स (उत्तर पत्रक) की दो प्रतियों की व्यवस्था :- ओ.एम.आर. शीट (उत्तर पत्रक) दो प्रतियों में होंगी जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होंगी। इसमें ऊपर वाली प्रति पर "Original Copy" तथा इसके नीचे वाली प्रति पर "Candidate Copy" मुद्रित होगा। इन दोनों प्रतियों के बीच यद्यपि कोई कार्बन पेपर नहीं होगा, किन्तु इनके बीच रासायनिक पदार्थ होने के कारण अभ्यर्थी मूल प्रति में जो कुछ भी अंकित करेगा, वह उसके नीचे अभ्यर्थी प्रति (Candidate Copy) में भी स्वतः अंकित हो जाएगा। परीक्षा समाप्ति उपरान्त दोनों प्रतियों को वीक्षक (Invigilator) की निगरानी में छिद्रित रेखा से मोड़कर अलग किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा और मूल प्रति (Original Copy) वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करनी है।
- विशेष सावधानी :- अभ्यर्थी उत्तर देते समय ओ.एम.आर.शीट की मूल प्रति तथा अभ्यर्थी प्रति को अलग-अलग करने की कोशिश नहीं करें। ओ.एम.आर. शीट वीक्षक को सुपुर्द करना आवश्यक है, यदि परीक्षार्थी गलती से ओ.एम.आर. शीट की मूल प्रति (Original copy) अपने साथ ले जाता है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।**
- (c) स्तर प्रथम परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा, इसके प्रत्येक खण्ड में 30 प्रश्न (कुल 150 प्रश्न) होंगे। जबकि स्तर द्वितीय परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र चार खण्डों में ही विभक्त होगा जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। दोनों स्तर की परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रथम खण्ड में 30 प्रश्न होंगे। जो अनिवार्य रूप से करने हैं। द्वितीय व तृतीय खण्ड भाषा के वैकल्पिक खण्ड होंगे जिसमें 30-30 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे उसी भाषा के प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करें, जिस भाषा को उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है।
- (d) स्तर द्वितीय परीक्षा के प्रश्न पत्र में चतुर्थ खण्ड जो कि वैकल्पिक खण्ड है, में खण्ड IV (अ) गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए है जबकि खण्ड IV (ब) सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षकों के लिए है। इन विषयों के अलावा अन्य विषय के शिक्षक इन दोनों खण्डों IV (अ) व IV (ब) में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इस खण्ड में 60 प्रश्न हल करने होंगे। परीक्षार्थी उसी खण्ड का चयन करें, जिसका आवेदन पत्र भरते समय उल्लेख किया है।
- (e) स्तर प्रथम व स्तर द्वितीय परीक्षा में आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प तथा स्तर द्वितीय परीक्षा में खण्ड (IV) के विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर, खण्ड के हल किए गए उत्तरों को गलत माना जाएगा और परीक्षा उपरान्त इनमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा।
- (f) परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को नीले/काले बाल पेन से ही सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें। एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जाएगा।
- (g) OMR शीट पर कहीं भी किसी भी प्रकार का रफ कार्य तथा कोई चिन्ह अंकित नहीं करें।
- (h) REET-2021 प्रमाण पत्र की वैधता :- REET-2021 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को REET कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसकी वैधता परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक रहेगी। REET परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती/रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह किसी भी भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड मात्र है।

महत्वपूर्ण सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2021 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/-रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं तथा उपरोक्त स्थिति में परीक्षार्थी को भविष्य में अध्यापक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा हेतु सदैव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

6. REET-2021 के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक :-

- i. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(13)प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 के अनुसार अग्रकित श्रेणियों हेतु रियायत उपरान्त न्यूनतम अर्हक अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्र.सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत	
		Non TSP	TSP
1.	सामान्य/अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	55	
4.	समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक	50	
5.	दिव्यांग (निःशक्तजन) श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति	40	
6.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	

- ii. राज्य सरकार के राजपत्र क्रमांक F.7(I)EE/Plan/2011 दिनांक 29.08.2012 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 36 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) निर्धारित किए गए हैं।

7. अन्य आवश्यक निर्देश/सूचना

- परीक्षार्थी को सम्पर्क हेतु मोबाईल नम्बर तथा E-Mail ID देना आवश्यक है।
- ओ.एम.आर. शीट (उत्तर पत्रक) की re-checking, re-assessment or scrutiny का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षार्थी चाहे तो प्रश्न-पत्र से सम्बन्धित अपनी परिवेदना 72 घंटे में <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> पर दिए गए लिंक के माध्यम से REET कार्यालय को भेज सकता है।
- परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व प्रश्न मय उत्तर REET वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। तत्पश्चात परीक्षार्थी 48 घंटे में अपनी सशुल्क आपत्ति <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> पर दिए गए लिंक के माध्यम से REET कार्यालय को भेज सकता है। उसके पश्चात किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- रात्रि 12 बजे बाद लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें।
- आवेदकों द्वारा ऑन-लाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रोविजनल रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच नहीं की जाएगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- केन्द्रीय या किसी राज्य की TET अथवा राजस्थान की RTET/REET परीक्षा से वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है तो वे इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकते। ऐसे वंचित अभ्यर्थी आवेदन पश्चात सफल हो जाते हैं तब भी परीक्षा परिणाम निरस्त किया जायेगा।

8. कानूनी विवादों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :-

- सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल अजमेर होगा।
- राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अधिकारिता केवल समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजीव गाँधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स अजमेर - 305001 (राज.) की है।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अग्रकित प्रारूपों में घोषणा (A) तथा घोषणा (B) की पूर्ति की जाकर तत्संबंधी सहमति प्रदान की जाएगी:-

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र (A) का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- मैंने REET परीक्षा 2021 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
- मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
- मुझे किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। पूर्व आयोजित REET परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
- मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 (सपठित 29 जुलाई, 2011) एवं समय-समय पर संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा की पात्रता रखता/रखती हूँ।

6. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पात्रता नहीं रखने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
7. मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> से डाउनलोड करूंगा/करूंगी।
8. मैं डाउनलोड किया हुआ आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूंगा/दूंगी।
9. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
10. मुझे यह जानकारी है कि मैं REET 2021 के परिणाम जारी होने तक सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स (डी.एल.एड./बी.एड./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण कर लेने पर ही REET 2021 के लिए पात्र होऊंगा/होऊंगी तथा राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पद पर भर्ती हेतु पात्र माना जाऊंगा/जाऊंगी।
11. मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।

स्थान :
दिनांक :

नाम :
पता :
फोन नम्बर मय कोड :
मोबाईल नम्बर :

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र (B) का प्रारूप

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र.....
जाति/वर्ग निवासी..... व्यवसाय..... घोषणा करता/करती हूँ कि—

1. मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 (सपठित 29 जुलाई 2011) एवं समय-समय पर संशोधित मापदण्डानुसार एवं विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं परीक्षा देने की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता की पात्रता रखता/रखती हूँ।
2. मैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) - 2021 में 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे गए आवेदन-पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या घोषणा पत्र में कोई असत्य बयान किया गया है, तो परीक्षा उपरान्त मिलने वाला पात्रता प्रमाण-पत्र स्वतः ही रद्द समझा जाएगा तथा मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊंगा/मानी जाऊंगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
4. मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
5. मैं इस तथ्य से भली-भाँति अवगत हूँ कि इस परीक्षा REET - 2021 को उत्तीर्ण कर भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड है। मात्र इस कारण से मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
6. मुझे पूर्व में कभी भी केन्द्रीय या किसी राज्य की TET या राजस्थान की RTET/REET परीक्षा में वंचित (Debar) नहीं किया गया है।

स्थान :
दिनांक :

अभ्यर्थी का नाम :

स्व सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र..... जाति/वर्ग
..... निवासी..... व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त घोषणा-पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

स्थान :
दिनांक :

अभ्यर्थी का नाम :
मोबाईल नम्बर :

अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देशों हेतु Website एवं ई-मेल की सुविधा —

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, कार्यालय समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) — 2021 पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क अथवा ई-मेल कर सकते हैं। पाठ्यक्रम एवं विस्तृत जानकारी REET की Website : <http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/reet2021> पर उपलब्ध है।

समन्वयक, REET-2021